प्रेस विज्ञप्ति

06.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पटना ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स जॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डीएलएमएस जॉलीवुड म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेर, बिहार द्वारा किए गए निवेश धोखाधड़ी मामले में 06.08.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत बिहार के मुंगेर ज़िले में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। जितेंद्र कुमार राजीव एवं उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाली उक्त संस्थाओं को मुंगेर, बिहार के एक परिवार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इस घोटाले में लोगों को "डिजिटल जॉब" और निवेश दोगुना करने का झांसा दिया गया। संभावित निवेशकों को यह लालच दिया गया कि ₹2,56,500 का निवेश करने और कंपनी की वेबसाइट पर प्रति माह 4,800 ऑडियो/वीडियो देखने पर वे हर महीने ₹15,000 कमा सकते हैं, और ज़्यादा गतिविधि करने पर अतिरिक्त बोनस देने का भी वादा किया गया। कंपनी ने नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त धन की पेशकश की, और अधिक लोगों को जोड़ने वालों को बाइक और कार देने का भी वादा किया। हालांकि, निवेश राशि जमा करने के बाद, कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जानबूझकर वेबसाइट की गति कम कर दी। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति माह 4800 ऑडियो/वीडियो देखने के आवश्यक कार्यों को पूरा करना तकनीकी रूप से असंभव हो गया। इस सोची-समझी धोखाधड़ी के कारण निवेशक भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहे। इस योजना में कुल निवेश लगभग **11.67 करोड़ रुपये** था। निवेशकों को निवेश के दो मुख्य स्लैब में से किसी एक में निवेश करके "सिक्योरिटी मनी" जमा करने के लिए कहा गया था।

ईडी ने जमालपुर**,** मुंगेर और आस-पास के क्षेत्रों में लोगों को 'डिजिटल जॉब' और निवेश दोगुना करने का झांसा देने वाले जितेंद्र कुमार राजीव**,** धीरज कुमार और अन्य के विरुद्ध बीएनएस**,** 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।

परिणामस्वरूप, ईडी पटना ने वर्ष 2025 में इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह जानकारी मिली कि आरोपितों द्वारा हड़पे गए निवेश को अन्यत्र विपथित कर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में उपयोग किया गया था। तदनुसार, उन निदेशकों, तकनीकी/सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों, गायकों व अन्य लोगों, जिन्होंने अधिक रिटर्न का लालच देकर गरीब निवेशकों को फंसाया और उनके निवेश को हड़प लिया, के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, अचल संपत्ति, बैंक खाते के विवरण, करारनामों, निवेश के विवरण और निवेशकों की सूची आदि से जुड़े विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ बरामद व ज़ब्त किए गए। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए इनकी गहन जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।